विशाल आक्रोश रैली निकाल आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का किया विरोध

## टोंक में एससी-एसटी के आव्हान पर भारत बंद का व्यापक असर, रोड़वेज बसों के भी थमे पहिये

सीमा संदेश संवाददाता

**टोंक।** सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर गत दिनो दिये सुझाव के विरोध में बुधवार को दलित व आदीवासी संगठन खुलकर सड़को पर उतर आये, जहा एससी-एसटी आरक्षण मंच के भारत बंद के आव्हान का टोंक शहर में व्यापक असर देखा गया। बंद का व्यापार मण्डल द्वारा समर्थन के चलते जहा दोपहर तक दुकाने नही खुली, वही एहतियातन स्कुल-कालेज बंद रहने के साथ ही रोडवेज बसों तक का संचालन भी पूरी तरह ठप्प हो गया। जिससे अकेले टोंक रोडवेज आगार को करीब ९ लाख रू. का नुकसान होना बताया जा रहा है। अनु-जाति, जनजाति आरक्षण मंच के बैनर तले दलित समाज के विभ्भीन्न संगठनो से जुडे हजारो लोग कृषि मण्डी बैरवा धर्मशाला में एकत्रित हुये, जहा से हाथो में झण्डे, बेनर लेकर बाबा अम्बेडकर के जयघोष के साथ बड़ा कुआं से मुख्य बाजार के रास्ते खेल स्टेडियम तक विशाल आक्रोश रैली निकाली। रैली काफला बाजार, सुभाष बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचने पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को नमन किया गया।

### मुस्लिम समाज ने शर्बत पिला दलित रैली का किया समर्थन

पांच बत्ती पर कांग्रेस पार्षद अत्ताउल्लाह खान, कांग्रेस ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी मो. एहसान बाबा, अखतर सुलेमान, फरीद भाई टोपी वाले, अब्दुल कादिर एडवोकेट, हुमायूं खान, हामिद, अजीज, नासिर फारुकी, राशिद कुरैशी आदि मुस्लिम युवाओ द्वारा रैली का फूलमालाओं एंव शर्बत पिलाकर स्वागत करते हुये उनकी रैली का समर्थन किया, रैली बाद में अबेंडकर स्टेडियम पहुचकर सम्पन्न हुई।

### पावटा रहा बंद, दोपहर बाद खुले बाजार

**पावटा।** अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित – आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त बुधवार को देशभर में भारत बंद का आह्वान किया। जिसे लेकर नगरपालिका पावटा – प्रागपुरा में एससी–एसटी संगठनों का बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान पावटा बाजार की सभी दूकाने बंद रही। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। बंद के दौरान आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया। इस संबंध में प्रशासन ने बंद को देखते हुए पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। प्रागपुरा थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि रैली के दौरान चप्पा चप्पा पर पुलिस बल तैनात रहा। जिसमें दलित संगठनों की ओर से बुधवार को शांतिपूर्वक रैली का आयोजन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी कपिल कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ओपी बायला ने बंद को सफल बनाने में सहयोग करने पर व्यापारी बन्धुओं का आभार जताया। इससे पूर्व प्रागपुरा कस्बा के मुख्य बाजार से डीजे द्वारा सुभाष चौक से पैदल मार्च निकालते हुए नारायपुर मोड़ बड़ी पुलिया से पुलिस थाने के सामने से बड़ी संख्या में लोग पावटा अम्बेड़कर पार्क पहुंचे। जहां लोगों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली को रवाना किया। रैली सब्जी मंडी के सामने से मुख्य बाजार, घंटाघर चौक, होली चौक होते हुए सुभाष चौक से भांकरी रोड़ के सामने पुलिया से सर्विस लाइन उपखंड कार्यालय पहुंचे। जहां उपखण्ड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया।

## कानपुर में रीत कुमावत ने नेशनल ताइक्वांडो में जीता कांस्य पदक, टोंक जिले का किया नाम रोशन

सीमा संदेश संवाददाता

**टोंक।** कानपुर में 16 से 18 अगस्त तक आयोजित हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सब-जूनियर 47 किलोग्राम भार वर्ग में टोंक जिले की रीत कुमावत ने ब्रांज मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जैसा कि टोंक जिले से कुशाल एलवीना एंव रीत ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें रीत कुमावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त कर टोंक जिले का नाम रोशन किया है। रीत टोंक पहुंचने पर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन टोंक के सचिव धन्नालाल वर्मा एवं द टाइगर मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी टोंक के निदेशक कृष्ण मुरारी प्रजापति ने खिलाडियों को माला पहनाकर स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।


### कब्जा सूचना

**एडेलवेइस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड**

सीआईएन-U67100MH2007PLC174759

**खुदरा केन्द्रीय व पंजीकृत कार्यालय :** एडेलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुम्बई-400098

चूंकि, यहां उल्लेखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा इसकी धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3)के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में नीचे उल्लेखित ऋणधारक(ों) को नीचे उल्लेखित राशि के भुगतान के लिए एक डिमांड नोटिस जारी कर यह नोटिस मिलने की तिथि से 60 दिन के भीतर बुलाया था।
चूंकि, यहां नीचे उल्लेखित समनुदेशक ने, वित्तीय आस्तियों को **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** (यहां इसे बाद में ''**ईएआरसी**'' कहा गया है)को सौंप दिया, **जो यहां उल्लेखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में** कार्यरत है। सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 5 के अधीन किए अनुबंधों की पालना में ईएआरसी समनुदेशक का अनुसरण करते हुए और समनुदेशक के समस्त अधिकारों, स्वामित्व व हितों के साथ ही ऋणधारक के लिए **ईएआरसी** में निहित वित्तीय आस्तियों को आधारभूत प्रतिभूति हितों, जमानतों, बंधक तथा समस्त अधिकारों की ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में पालना करेगी।
ऋणधारक राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, ऋणधारक व जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 में उसे मिली शक्तियों शक्तियों की पालना करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के सामने अंकित व उल्लेखित तिथि पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है।

| क्र. सं. | समनुदेशक का नाम | संस्था का नाम | ऋण खाता संख्या | ऋणधारक व सह-ऋणधारक(ों) के नाम | डिमांड नोटिस की तिथि व राशि | कब्जे की तिथि | कब्जे की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रेलिगेर हाउसिंग फाइनेंस डवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड | 'ईएआरसी ट्रस्ट एससी- 421 | XMHD-JMT00124527 | 1. रेखा मोकम सिंह (ऋणधारक) 2. मोकम सिंह, 3. अंगूरी देवी, 4. राकेश कुमार मिश्रा, 5. लक्ष्मी देवी (सह-ऋणधारक) | 11.07.2019 और रु. 15,88,623.63 | 20.08.2024 | भौतिक कब्जा |

**संपत्ति का विवरण:** राजेन्द्र नगर निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 स्थित प्लॉट संख्या 53 के भूतल पर स्थित फ्लैट संख्या जी-2 के समस्त खण्ड व हिस्से। (अधिमापन 850 स्कैयर फीट्स)

ऋणधारक(ों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाते हुए उन्हें उपलब्ध समय में सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विशेष रूप से ऋणधारक और आमजन को एतद्वारा आग्रह किया जाता है कि वे सम्पत्ति का सौदा न करें और सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज के लिए **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक: 22.08.2024

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction


## मालपुरा में विरोध जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

मालपुरा (सीमा संदेश सं.)। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मे वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ मालपुरा शहर में एससी–एसटी संगठनों ने बुधवार को विरोध जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। भारत बंद के समर्थन में मालपुरा बंद का आह्वान कर गांधी पार्क से एससी–एसटी संगठनों के कार्यकर्ता व नागरिकों ने विरोध जुलूस निकाला कर १० सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम हरिता5I आदित्य को ज्ञापन सोपा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में भारत बंद के समर्थन में गांधी पार्क पर एससी–एसटी के संगठनों के कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी सं2या में एकत्रित हुए। गांधी पार्क से विरोध जुलूस शुरू हुआ। विरोध जुलूस में जमकर नारेबाजी की गई। विरोध जुलूस सुभाष सर्किल, व्यास सर्किल होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा जहां एडीएम हरिता5I आदित्य को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में बताया कि भारत के संविधान निमार्ता ने संविधान में अनुच्छेद 12, 14, 15, 16, 17,46, 330, 332, 335, 341 एवं 342 इत्यादि का प्रावधान कर इन वर्गों को राज्य की सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार दिया है। लेकिन इन अधिकारों को समय–समय पर न्यायालय के माध्यम से निष्प्रभावी करने की कोशिश की है जिसके कारण संविधान में 77वां,81वां,82वा,85वां संशोधन किए गए हैं। 3 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्णय दिया गया है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान घोर विरोध करती है। संगठनों के नागरिकों ने दस सूत्री मांग मे अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण अधिनियम आज तक पारित नहीं किया गया है जिसे पारित किया जाकर आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डाला जाए। जिससे उनके अधिकारों के साथ भविष्य में छेड़छाड़ नहीं हो, उच्च पदों पर लेटरल एंट्री समाप्त कर उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए, शिक्षा के मौलिक अधिकार को विभिन्न व्यवस्थाओं को लघु8ाम किया जा रहा है जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उत्थान में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार जैसे शैक्षणिक संस्थानों में भारी फीस की छूट, कोचिंग सेंटर में गुणवत्ता सुधार, हॉस्टल व्यवस्था में सुधार, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की संख्या में वृद्वि इत्यादि की अवस्था की जाए, सभी सरकारी संस्थानों में जाति लिखने की परंपरा को सरकार आदेश द्वारा सख्ती से समाप्त किया जाए, भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन लगाई जाने सहित अन्य मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में एससी व एसटी वर्ग के नागरिक मौजूद रहे। वही तहसीलदार राहुल पारीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा, पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र मीणा, थाना अधिकारी चेनाराम बेडा सहित भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा। मालपुरा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच द्वारा भारत बंद के आह्वान पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद कर दिया गया। रोडवेज बसों के पहिए थम जाने से यात्री परेशान हुए तथा यात्रीयो को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल हुई। लोगों को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी हुई। रोडवेज बसों के बंद होने से लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा।


**pnb Housing Finance Limited** Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
**अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना**
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

**पंजीकृत कार्यालय** :–9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोन:–011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
**भिवाडी शाखा:** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बायपास, भिवाडी–301019, राजस्थान

एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दिशत कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "**जैसी है जहां है", "जैसी है जो है**" तथा "**जो भी है वहां है**" आधार पर बेची जाएगी। एतद्वारा कालम नंबर –ए में निर्दिशत कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

| ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए) | मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी) | कब्जा का प्रकार (सी) | बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी) | आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई) | ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ) | बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी) | बोली वृद्धि राशि (एच) | निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई) | नीलामी की तिथि एवं समय (जे) | ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU/BHI/0218/498104,बी.ओ.: भिवाड़ी, प्रवीण कुमार/कुसुम गलगट | 21.04.2023 तक रु. 26,21,809.55/– | भौतिक कब्जा | विला नं 273, ओमेक्स, ग्रीन मीडो सिटी, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान–301019, भारत, माप 1403 वर्ग फीट. | रु. 2609000 | रु. 260900 | 09.09.2024 | रु. 10000 | 02.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30 | 10.09.2024 अप.12.00 बजे से अप. 2.00 | Not Known |
| HOU/BHI/0217/356189,बी.ओ.: भिवाड़ी, तन्मय सिंहा और श्रीमती. सोमा दास | 17.01.2023 तक रु. 9,58,985.51/– | भौतिक कब्जा | यूनिट नं. 1005, 10वीं मंजिल, टॉवर सी–4, एवलॉन होम्स, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान–301019, भारत, माप 460 वर्ग फीट. | रु. 600000 | रु. 60000 | 09.09.2024 | रु. 10000 | 02.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30 | 10.09.2024 अप.12.00 बजे से अप. 2.00 | Not Known |
| HOU/UDA/1221/939636,बी.ओ.: उदयपुर, श्रीमती नीरूबेन पटेलिया/ईश्वर सिंह | 07.03.2024 तक रु. 12,91,279.87/– | भौतिक कब्जा | मकान नंबर 93, आराजी नंबर 15130/4605, राजस्व ग्राम उमदो, ग्राम पंचायत कानपुर, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान– 325989 | रु. 1323000 | रु. 132300 | 19.09.2024 | रु. 10000 | 10.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30 | 20.09.2024 अप.12.00 बजे से अप. 2.00 | Not Known |
| NHL/BHI/0217/354995, बी.ओ.: भिवाड़ी, मोहम्मद साहिद/शमीम खान | 28.08.2023 तक रु. 23,51,106.09/–. | भौतिक कब्जा | सी–एलजीएफ35, एलजी, टावर कैपिटल हाई स्ट्रीट (एलजी), कैपिटल हाई–स्ट्रीट, प्लॉट नंबर ए–56 और ए57, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, भारत–909024 | रु. 1496000 | रु. 149600 | 19.09.2024 | रु. 10000 | 10.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30 | 20.09.2024 अप.12.00 बजे से अप. 2.00 | Not Known |

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **रवि कुमार, अश्वनी कुमार शर्मा, दीपक शाह संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

**स्थान: राजस्थान, दिनांक: 22-08-2024**
**प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**


### सुनिल कुमार सारवान बने जयपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष

सीमा संदेश संवाददाता

**पावटा।** राष्टीय वंचित लोग मंच संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्व प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान मुकेश चांवरीया कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष योगेश परमार ने सुनिल कुमार सारवान को जयपुर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है सुनिल के जिलाध्यक्ष बनने पर अशोक गोपाल राहुल नंदलाल प्रदीप निरजंन सहीत अनेक लोगो ने भधाई दी है।

### अतिवृष्टि से फसलों में नुकसान का किसानों को मुआवजा देने की मांग, किसान महापंचायत ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सीमा संदेश संवाददाता

**टोंक।** अतिवृष्टि से फसलो को हुये भारी नुकसान के मुआवजे को लेकर बुधवार को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में टोंक जिले के किसानो की कृषि मंडी प्रांगण में बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसले चौपट हो जाने पर मुआवजा सहित किसानों की विभिन्न माँगों को लेकर कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाही की मांग की। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि किसानों का जीवन-यापन फसलों पर ही आधारित होता हैं। राष्ट्रीय महासचिव अकबर खान ने बताया कि इस साल हुई जबरदस्त वर्षा से किसानों की फसले पुरी तरह चौपट हो गई है, हम सरकार से माँग करते हैं कि किसानों को उनकी फसलों का पुरा-पुरा मुआवजा दिया जाए। इस मोके पर किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, किसान नेता रतन खोखर, दशरथ चौहान, गोपी जाट, भंवर, राजेश गोहरपुरा, दुल्ला प्रजापत, रमेश चंद्र, बद्रीलाल, महावीर प्रसाद, नाथू सिहं, दशरथ सिहं आदि मौजुद रहे।

### बार अभिभाषक संघ ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

**पावटा (सीमा संदेश सं.)।** अभिभाषक संघ ने अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा के नेतृत्व में विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ को पावटा तहसील परिसर में बार रूम बनवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि अधिवक्तागण व पक्षकारों के लिए विधायक ने तहसील परिसर में बार रुम बनवाने की घोषणा की थी। जिसकी तहसील परिसर में शख्त आवश्यकता है। ज्ञापन के माध्यम से उक्त बार रुम को शीघ्र स्वीकृत कर बनवाने की अपील की गई है। जिस पर विधायक ने शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करवाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर संघ के सचिव ओमप्रकाश सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सिंह शेखावत, लोकेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सिंह शेखावत, मेहर सिंह जाट सहित सभी अधिवक्ताओं विधायक को रक्षा बंधन पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेसित की।

### श्री सम्मेद शिखरजी के लिए यात्री हावड़ा वाला

**मालपुरा (सीमा संदेश सं.)।** जैन शांतिनाथ मंडल समिति पांडुकशिला मालपुरा द्वारा झारखंड में स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखरजी के लिए ९वी जैन तीर्थ यात्रा बुधवार को मालपुरा से रवाना हुई। जिसमें अग्रवाल समाज मालपुरा के अध्यक्ष ताराचंद जैन व समाज मन्त्री पवन मोदी का यात्रा सयोंजक विनोद नेता व पदम चौगाई ने माला व साफा पहनाकर सम्मान किया तथा अतिथियो ने सभी पांच बसो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्रीगणो ने दोनो माताजी का आशिर्वाद लेकर रवाना हुए।

## गाजे-बाजे के साथ निकाली वीर तेजाजी की 12वीं पदयात्रा, आज सुरसुरा धाम के लिए रवाना होगी पदयात्रा

सीमा संदेश संवाददाता

**टोंक।** वीर तेजाजी की 22 अगस्त को निकाले जाने वाली जिला स्तरीय 12 वी पदयात्रा को लेकर बुधवार को खोजा बावड़ी स्थित वीर हनुमान मंदिर में तेजाजी महाराज के ध्वज व 951 कलशों की कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का समिति अध्यक्ष मुकेश खादवाल, उपाध्यक्ष सत्यनारायण पराना, पूर्व अध्यक्ष बंजरंग नानेर, चरण सिंह, दयाराम जाट, शिवराज ताखर, घनश्याम शेरगढ़ आदि ने पूजा-अर्चना कर रवाना किया, जो छावनी, बस स्टैंड होकर कृषि मंडी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में पहुँची, कलश यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान लीलन घोड़ी से तेजाजी महाराज की बिंदौरी भी निकाली गई तथा अलगोजा जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को सुबह 8 बजे कृषि मंडी से पूजा-अर्चना के साथ सुरसुरा धाम के लिए पदयात्रा रवाना होगी। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष छोटू जोला, हरिराम डुसरी, लक्ष्मण चौधरी गाता, एडवोकेट रमा चौपड़ा, कोषाध्यक्ष गोपाल बम्बोर, रामजस बालापुरा, रामवतार बरौनी, कन्हैया लाल चौधरी, ओमप्रकाश देवली, हेमराज देवपुरा, रामवतार डारडाहिन्द, रामकरण जाट, लक्ष्मीनारायण सुरेली, दिनेश गुर्जर आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।


## कार्यालय नगरपालिका मण्डल बानसूर (कोटपुतली-बहरोड)

क्रमांक .न.पा.बा./2024-25/873
दिनांक : 21.08.2024

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका बानसूर विभिन्न आवेदनकर्ताओं द्वारा राजस्व ग्राम बानूसर, बाढ़ भावसिंह, बाढ़ ठेगुवास में अपनी संपत्ति के कृषि भूमि नियमन/नामान्तरण एवं उपविभाग योजना अंतर्गत पट्टे जारी करवाने हेतु आवेदन किए गए है संबंधित आवेदन की विस्तृत जानकारी नगरपालिका बानसूर की वेबसाईट http://urban.rajasthan.gov.in./ulbbansur एवं नोटिस बोर्ड कार्यालय नगरपालिका बानसूर, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय पर देखी जा सकती है। अपना दावा/आपत्ति नगरपालिका बानूसर में अवधि 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

| क्र. सं. | आवेदन का नाम पिता/पति का नाम | स्थित भवन/भूमि का मोहल्ला रास्ता | राजस्व ग्राम | विवरण | भूखण्ड का क्षेत्रफल | प्रयोजनार्थ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री खुशीराम पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता | रामबाग के पीछे, बानसूर | बानूसर | कृषि भूमि खं.सं. 1215 | 693.33 वर्गगज | आवासीय |
| 2. | श्रीमती नेहा गर्ग पत्नी श्री मनीष अग्रवाल | बानसूर | बानसूर | कृषि भूमि खं. सं. 3170/1269 | 343.33 वर्गगज | आवासीय |
| 3. | श्रीमती लील्की देवी पत्नी श्री हरलाल बावरिया | बानसूर | बानसूर | कृषि भूमि खं.सं. 922 | 170.00 वर्गगज | आवासीय |
| 4. | श्री हरलाल पुत्र गणेश बावरिया | बानसूर | बानसूर | कृषि भूमि खं.सं. 922 | 170.00 वर्गगज | आवासीय |
| 5. | श्री रणजीत पुत्र श्री हरलाल बावरिया | बानसूर | बानसूर | कृषि भूमि खं.सं. 922 | 170.00 वर्गगज | आवासीय |
| 6. | श्रीमती सुनीता पारीक पत्नी श्री रोहिताश | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 632/210 | 124.44 वर्गगज | आवासीय |
| 7. | श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी पत्नी श्री हनुमान सेनी, योगेश सैनी पुत्र कैलाश चन्द सैनी | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 727/382 | 173.30 वर्गगज | आवासीय |
| 8. | श्री हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 727/382 | 144.44 वर्गगज | आवासीय |
| 9. | श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी पत्नी श्री हनुमान सैनी, यागेश सैनी पुत्र कैलाश चन्द सैनी | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 727/382 | 112.48 वर्गगज | आवासीय |
| 10. | श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबुलाल शर्मा | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 727/382 | 151.39 वर्गगज | आवासीय |
| 11. | श्रीमती आशा शर्मा पत्नी अरविन्द कुमार शर्मा | बाढ भावसिंह | बाढ भावसिंह | कृषि भूमि खं.सं. 727/382 | 110.43 वर्गगज | आवासीय |
| 12. | श्री सुरेन्द्र मार वर्मा पुत्र श्री रामावतार | बाढ ठेगुवास | बाढ ठेगुवास | कृषि भूमि खं.सं. 457 | 185.16 वर्गगज | आवासीय |
| 13. | श्री जगदीश पुत्र रामावता | बाढ ठेगुवास | बाढ ठेगुवास | कृषि भूमि खं.सं. 457 | 92.59 वर्गगज | आवासीय |
| 14. | श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री गिर्रा प्रसाद यादव | बानसूर | बानसूर | कृषि भूमि खं.सं. 2969/915 | 170.00 वर्गगज | आवासीय |
| .15. | श्री आकाश शर्मा, श्री आयुष्मान शर्मा पुत्रान श्री नरहरि शर्मा | बानसूर | बानसूर | आबादी | 891.वर्गगज | आवासीय |

**अधिशाषी अधिकारी**
**नगर पालिका बानसूर**

क्रमांक : न.पा.बा./2024-25/874-76